

अंचल अधिकारी नन नगरपालिका, करमाटीङ(विद्यासागर)
संदिग्ध/अवैध जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या-116/2023

मंजूर

3

तिथि

आदेश फलक

2

-आदेश:-

20.05.2023

अभिलेख स्थापनापित।

यह अभिलेख मुख्य सचिव, झारखण्ड के पत्रांक 2074/सो दिनांक 13.5.16 के साथ सहपठित स्थापनापित, जामताड़ा के आदेश जापांक 461/सो, दिनांक-14.5.16 के आधार पर स्थापित किया गया है।

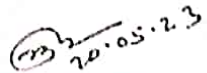
स्थापनापित जामताड़ा के द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में राजस्व उप निरीक्षक हल्द्वारी संख्या-01 ने अंचल निरीक्षक करमाटीङ(विद्यासागर) के माध्यम से जोच पतिवेदन दिया है कि करमाटीङ(विद्यासागर) अंतर्गत मौजा-जेरुवा, थाना सं0-90, खाता सं0-17/1, दाग सं0-611, रकबा-2.00 एकड़ भूमि जमाबंदीदार-सुकर पुजहर ग्राम-जेरुवा, पोस्ट-रानीटाँड़, थाना-करमाटीङ, जिला जामताड़ा के नाम से पंजी-11 में दर्ज है। तथा उक्त भूमि का राजस्व अभिलेख के साथ रथल जाँच करने पर पाया कि उक्त भूमि का सर्वे खतियान में किरम-पुरातन पतिव कहकर दर्ज है तथा जमाबंदी पंजी के जमाबंदी न0 17/1 में वर्ष 2001-2002 तक लगान जमा दर्ज है। आगे प्रतिवेदित किया है कि चूँकी पंजी-11 के प्राधिकार कालम में जमाबंदी कायम करने का कोई आधार दर्ज नहीं है तथा जमाबंदीदार के वारिशानो के द्वारा उक्त जमाबंदी का कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे उपरोक्त जमाबंदी संदिग्ध/अवैध प्रतीत होता है अतः जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

प्रतिवेदन के आधार पर वादी को नोटिस देकर अपना पक्ष रखने हेतु कहा गया। वादी की ओर से उनके पुत्रवधु गीता देवी पति-तेतु पहाड़िया ने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा है कि उक्त वाद में वर्णित भूमि की बंदोबस्ती के संबंध में उनके पास कोई कागजात उपलब्ध नहीं है।

वादी के द्वारा उक्त वाद में वर्णित भूमि से संबंधित कोई भी साक्ष्य/कागजात उपलब्ध नहीं कराने से उपरोक्त वर्णित जमाबंदी संदिग्ध प्रतीत होता है।

अतः अंचल करमाटीङ(विद्यासागर) अंतर्गत मौजा-जेरुवा, थाना सं0-90, के जमाबंदी संख्या-17/1, पर बंदोबस्ती संबंधी कोई साक्ष्य या कागजात अप्राप्त रहने के कारण जमाबंदी संख्या-17/1, को संदिग्ध मानते हुए उक्त जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

अग्रतर कारवाई हेतु अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता, जामताड़ा को भेजे।


अंचल अधिकारी,
करमाटीङ(विद्यासागर),
जामताड़ा।